

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

मांग संख्या 92

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	4391.19	89.07	4480.26	7095.27	110.37	7205.64	5558.85	59.98	5618.83	8217.04	83.06	8300.10
<b>वसूलियां</b>	-1498.09	...	-1498.09	-2685.64	...	-2685.64	-2318.00	...	-2318.00	-2200.00	...	-2200.00
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2893.10</b>	<b>89.07</b>	<b>2982.17</b>	<b>4409.63</b>	<b>110.37</b>	<b>4520.00</b>	<b>3240.85</b>	<b>59.98</b>	<b>3300.83</b>	<b>6017.04</b>	<b>83.06</b>	<b>6100.10</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	217.73	89.07	306.80	265.72	110.37	376.09	234.61	59.98	294.59	248.01	83.06	331.07
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. स्किल इंडिया कार्यक्रम												
2.01 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में अंतरण	1733.33	...	1733.33	2685.64	...	2685.64	2318.00	...	2318.00	2200.00	...	2200.00
2.02 स्किल इंडिया कार्यक्रम	1300.50	...	1300.50	2685.64	...	2685.64	2318.00	...	2318.00	2700.00	...	2700.00
2.03 माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) से प्राप्त राशि	-1300.50	...	-1300.50	-2685.64	...	-2685.64	-2318.00	...	-2318.00	-2200.00	...	-2200.00
<i>निवल</i>	<i>1733.33</i>	<i>...</i>	<i>1733.33</i>	<i>2685.64</i>	<i>...</i>	<i>2685.64</i>	<i>2318.00</i>	<i>...</i>	<i>2318.00</i>	<i>2700.00</i>	<i>...</i>	<i>2700.00</i>
3. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) को अतिरिक्त अंतरण	600.00	...	600.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>2333.33</b>	<b>...</b>	<b>2333.33</b>	<b>2685.64</b>	<b>...</b>	<b>2685.64</b>	<b>2318.00</b>	<b>...</b>	<b>2318.00</b>	<b>2700.00</b>	<b>...</b>	<b>2700.00</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
4. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)	12.48	...	12.48	17.56	...	17.56	14.19	...	14.19	13.87	...	13.87
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
5. भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईटी)	0.73	...	0.73	4.00	...	4.00	3.90	...	3.90	4.00	...	4.00
6. राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईएसवीयूडी)	0.73	...	0.73	1.75	...	1.75	1.00	...	1.00	1.25	...	1.25
7. राष्ट्रीय अनुशासक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>1.46</b>	<b>...</b>	<b>1.46</b>	<b>5.76</b>	<b>...</b>	<b>5.76</b>	<b>4.91</b>	<b>...</b>	<b>4.91</b>	<b>5.26</b>	<b>...</b>	<b>5.26</b>
<b>अन्य</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. वास्तविक वसूलियां	-197.59	...	-197.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>-183.65</b>	...	<b>-183.65</b>	<b>23.32</b>	...	<b>23.32</b>	<b>19.10</b>	...	<b>19.10</b>	<b>19.13</b>	...	<b>19.13</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
9. आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प)-ईएपी	213.46	...	213.46	380.00	...	380.00	350.00	...	350.00	...	...	...
10. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी	245.67	...	245.67	5.05	...	5.05	5.14	...	5.14	...	...	...
11. संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना को सुदृढ बनाना	66.56	...	66.56	49.90	...	49.90	20.00	...	20.00	49.90	...	49.90
12. नई आईटीआई उन्नयन स्कीम	...	...	...	1000.00	...	1000.00	294.00	...	294.00	3000.00	...	3000.00
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>525.69</b>	...	<b>525.69</b>	<b>1434.95</b>	...	<b>1434.95</b>	<b>669.14</b>	...	<b>669.14</b>	<b>3049.90</b>	...	<b>3049.90</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2893.10</b>	<b>89.07</b>	<b>2982.17</b>	<b>4409.63</b>	<b>110.37</b>	<b>4520.00</b>	<b>3240.85</b>	<b>59.98</b>	<b>3300.83</b>	<b>6017.04</b>	<b>83.06</b>	<b>6100.10</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2446.54	...	2446.54	2833.99	...	2833.99	2598.61	...	2598.61	3767.39	...	3767.39
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	217.38	...	217.38	265.72	...	265.72	234.61	...	234.61	248.01	...	248.01
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	89.07	89.07	...	104.12	104.12	...	53.73	53.73	...	79.71	79.71
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>2663.92</b>	<b>89.07</b>	<b>2752.99</b>	<b>3099.71</b>	<b>104.12</b>	<b>3203.83</b>	<b>2833.22</b>	<b>53.73</b>	<b>2886.95</b>	<b>4015.40</b>	<b>79.71</b>	<b>4095.11</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	425.06	...	425.06	213.27	...	213.27	506.50	...	506.50
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	223.13	...	223.13	471.14	...	471.14	187.88	...	187.88	1286.14	...	1286.14
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	6.05	...	6.05	413.72	...	413.72	6.48	...	6.48	209.00	...	209.00
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	6.25	6.25	...	6.25	6.25	...	3.35	3.35
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>229.18</b>	...	<b>229.18</b>	<b>1309.92</b>	<b>6.25</b>	<b>1316.17</b>	<b>407.63</b>	<b>6.25</b>	<b>413.88</b>	<b>2001.64</b>	<b>3.35</b>	<b>2004.99</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2893.10</b>	<b>89.07</b>	<b>2982.17</b>	<b>4409.63</b>	<b>110.37</b>	<b>4520.00</b>	<b>3240.85</b>	<b>59.98</b>	<b>3300.83</b>	<b>6017.04</b>	<b>83.06</b>	<b>6100.10</b>

1. **सचिवालय:** यह मंत्रालय के सचिवालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), जन शिक्षण संस्थान निदेशालय (जेएसएस के निदेशालय), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई), प्रधान लेखा कार्यालय (पीआरएओ) के लिए व्यय का प्रावधान करता है।

2. **स्किल इंडिया कार्यक्रम:** इस मिश्रित केन्द्रीय क्षेत्र योजना में तीन घटक शामिल हैं अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)। इसके अंतर्गत

एमयूएसके में अंतरण शामिल है तथा कार्यक्रम घटक एमयूएसके से पूरा किया जाएगा। इस आबंटन में 'धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी):** व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने के लिए व्यापक नियामक निकाय।

5. **भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईईई):** प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाओं के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष निकाय, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी, असम में है।
6. **राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईईएसबीयूडी):** उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और प्रकाशन से जुड़ा संगठन।
7. **राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई):** यह एक ऐसा संस्थान है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के उपयोग के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करना, आधुनिक युग के शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए ई-सामग्री विकसित करना और जनता तक इसकी पहुंच बढ़ाना है।
9. **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प)-ईएपी:** आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प)-ईएपी- विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का पूल बनाना, राज्य स्तर पर सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच संकेन्द्रण स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मजबूत अनुवीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना है।
10. **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी:** औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी: विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना का उद्देश्य लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी संबंधित चुनतियों का समाधान करने के लिए उद्योग समूहों/भौगोलिक मंडलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना है।
11. **संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए अवसरचना को सुदृढ़ बनाना:** इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं (i) उत्तर-पूर्व राज्यों में कौशल विकास की मौजूदा अवसरचना को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास का संवर्धन करना, (ii) 10 राज्यों के वामपंथी उपवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में कौशल विकास बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वामपंथी उपवाद से प्रभावित 47 जिलों के लिए कौशल विकास (iii) मौजूदा आई.टी.आई. का आदर्श आई.टी.आई. में उन्नयन और (iv) पॉलिटैक्रिक के लिए योजना।
12. **नई आईटीआई उन्नयन स्कीम:** हब एंड स्पोक व्यवस्था में 1000 आईटी आई के उन्नयन हेतु 'नई आईटीआई उन्नयन योजना'